28/01/25 | पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उप. वाद वादीया स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2024/8

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.31 17:36:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 03/2024 GCMS No. 2024|8 **दायरा दिनांक : 03.01.2024**

सावत्रीदेवी पत्नी श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी चक 11 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीया

बनाम

1. शेराराम पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी चक 11 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा हाल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बडोपल
4. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

उपस्थिती : एडवोकेट सुरेन्द्र सुथार – वादीया

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 'ए' व 209 आर.टी.ए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 28.01.2025

पत्रावली पेश हुई। वादीया के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में विचारण तथ्य यह है कि प्रतिवादी नं. 01 शेराराम पुत्र श्री लाधूराम जाति जाट के नाम से चक 11 एस.पी.डी. 'बी' के पत्थर नं. 207/10 के किला नं. 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0 कुल 0.456 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज कागजात थी। प्रतिवादी नं. 01 द्वारा अपने नाम से अंकित भूमि चक 11 एस.पी.डी. 'बी' के पत्थर नं. 207/10 के किला नं. 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0 कुल 0.456 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये रजिर्स्टड बैयनामा विक्रय कर दी व मौका पर कब्जा मय पानी दे दिया गया उक्त बैयनामा सब रजिस्ट्रार सूरतगढ़ से तहरीर किया जाकर पंजीबद्ध किया गया है। प्रातिवादी नं 1 जो कि एक चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है के मन मे बदयान्ति आ गई है प्रतिवादी नं 1 के नाम से अंकित भूमि 0.456 है0 भूमि जरिऐ बैयनामा बेचान कर चुका है ऐसी अवस्था मे प्रतिवादी नं 1 का किसी प्रकार का कोई हक/कानुनन अधिकार नही रहा है व ना ही मौका पर उसका कब्जा काश्त रहा है मात्र राजस्व रिकॉर्ड मे उसका नाम अंकित होने के कारण व वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही होने के फलस्वरूप प्रातिवादी नं 1 वाद अन्ताति भूमि को बेचान करने को आमादा है जब कि उसे जमीन बेचने का कोई अधिकार नही रहा है। अब यदि प्रतिवादी नं 1 के द्वारा उक्त भूमि का बेंचान कर दिया गया तो वादीया को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए प्रातिवादी को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबधिंत किया जाना आवश्यक है। इस बाबत वादीया ने वाद पत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण दर्ज रजिस्टर होने के बाद प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली में प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने पर दिनांक 04.11.2024 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीया द्वारा अपने ब्यानात हेतु शपथपत्र पेश किया गया जो दिनांक 06.11.2024 को शामिल मिसल किया गया। जिरह शुन्य अंकित की गयी। शपथपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज बैयनामा पर प्रदंश अंकन किये गये। पत्रावली बहस हेतु रखी गयी।

अतः पत्रावली वास्ते बहस प्रस्तुत होने पर वकील वादीया उपस्थित होकर वकील वादीया विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रवितादी नं. 01 द्वारा वादीया को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 18.01.2012 को वाके चक 11 एस.पी.डी. 'बी' के पत्थर नं. 207/10 के किला नं. 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0 कुल 0.456 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि खरीद की गयी है मगर जेर प्रकरण रकबा प्रतिवादी नं. 03 के पक्ष में रहन दर्ज होने से राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बैयनामा दर्ज नही हो रहा है इसलिये वादीया प्रतिवादी नं. 01 का बकाया ऋण स्वंय वहन कर रहन फक आदेश जारी करवाकर एन.ओ.सी. प्राप्त करने की अधिकारीणी है। प्रतिवादी नं. 03 द्वारा रहन फक आदेश वादीया को दिये जाने के वाद रहन फक का राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद होने के उपरान्त मुताबिक वैयनामा प्रतिवादी नं. 01 का नाम कलमजन किया जाकर जैरवाद भूमि का वादीया को खातेदार कृषक घोषित किया जावे का निवेदन किया गया।

पत्रावली उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। वाके चक 11 एस.पी.डी. 'बी' के पत्थर नं. 207/10 [illegible]/2 में 0.228 है0 कुल 0.456 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि मुताबिक बैयनामा वादीया का [illegible] है व वादीया द्वारा प्रतिवादी नं. 03 का रहन राशि जमा करवाने के लिए [illegible] भूमि की रहन पेटे बकाया राशि जमा करवाकर रहन फक [illegible] समझते है।

अतः मुताबिक बैयनामा दिनांक 18.01.2012 के आधार पर [illegible] वाके चक 11 एस.पी.डी. 'बी' के पत्थर नं. 207/10 के किला नं. 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0[illegible] है0 कुल 0.456 है0 कमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी नं. 01 के नाम से कलमजन की जाकर वादीया को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.31 17:36:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

(बइजलास :– श्री संदीप कुमार आर.ए.एस)

सावत्रीदेवी पत्नी श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी चक 11 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीया

बनाम

1. शेराराम पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी चक 11 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा हाल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बड़ौपल
4. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र 88, 188, 92 'ए' व 209 आर.टी.ए के मुकदमा नं. 03 वर्ष 2024 यह मुकदमा वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीया **श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार** के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

दावा वादीया स्वीकार किया जाता है तथा वादाधीन भूमि वाके चक 11 एस.पी.डी. 'बी' के पत्थर नं. 207/10 के किला नं. 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0 कुल 0.456 है0 कमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी नं. 01 के नाम से कलमजन की जाकर वादीया को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। व राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जातें है तथा प्रतिवादी नं. 03 बकाया ऋण की बकाया राशि वादीया से जमा करवायी जाकर रहन फक आदेश वादीया को दिया जावे।

नोज -------x------ मुबलिग -------x------ बाबत -------x------ खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह -------x------ फस्दों की पालना -------x------ आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28.01.2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.31 17:36:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)